न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 97/2024
अनवान : –

1. महावीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. किसनलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. कृष्णा पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
5. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 26/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 20/16 के ख0न0 402 की 11.8620 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी तहसील नोहर के खाता स0 83/82 की कुल 5.1750 हैक्ट भूमि रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 179/30 की कुल 2.9100 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल तथा दावा में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। गैरसायलान अजनबी केतागण को वाद भूमि पर विभाजन से पहले काबिज करवाना चाहते है एवं अच्छी भूमि का बैचान करना चाहते है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 20/16 के ख0न0 402 की 11.8620 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी तहसील नोहर के खाता स0 83/82 की कुल 5.1750 हैक्ट भूमि रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 179/30 की कुल 2.9100 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के विशेष हिस्से का बेचान न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस अ[illegible] सायलान का विवादित भूमि में 8/35 हिस्सा है तथा सायलान अपने हिस्से पर काबिज [illegible] ने अपने हिस्से से ज्यादा समस्त भूमि पर स्थगन ले लिया है जिससे अप्रार्थीगण [illegible] खातेदारी हको का [illegible] हो रहा है एवं केसीसी व राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओ से वंचित है एवं अपनी [illegible] का नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भी दर्ज नही करवा पा रहे है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए पेश किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 20/16 के ख0न0 402 की 11.8620 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी तहसील नोहर के खाता स0 83/82 की कुल 5.1750 हैक्ट भूमि रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 179/30 की कुल 2.9100 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 15.05.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/11/2026 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:04:32 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर